न्यूज़ टुडे

रूस पर क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियारों के उपयोग का आरोप लगाया गया है

- मानवाधिकार समूहों ने, **यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस पर क्लस्टर बमों और थर्मोबेरिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप** लगाया है।

क्लस्टर हथियार (Cluster munitions)

- ये एक प्रकार के **गैर–सटीक हथियार** होते हैं। इन्हें किसी बड़े क्षेत्र में **ताबड़तोड़ तरीके से आबादी (यानी लोगों) को घायल करने या मारने** और वाहनों तथा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- इन्हें **विमान से गिराया** जा सकता है या **प्रोजेक्टाइल (प्रक्षेप्य) के रूप में दागा** जा सकता है। ये हथियार अपने मार्ग में छोटे–छोटे बमों की बमबारी करते जाते हैं।
- इन छोटे–छोटे बमों में से **कई बम फट नहीं पाते हैं** और जमीन पर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ऐसे में लड़ाई या युद्ध समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक मानव आबादी को इनसे खतरा बना रहता है।
- जिन देशों ने **क्लस्टर हथियारों पर अभिसमय** (Convention on Cluster Munitions) की अभिपुष्टि की है, उन्हें क्लस्टर बमों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अब तक, इस **अभिसमय के 110 देश पक्षकार हैं।**
  - **रूस, यूक्रेन और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।**
- **भारत के पास क्लस्टर हथियार हैं।** इन्हें जमीन से आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल या रॉकेट और मिसाइलों से भी दागा जा सकता है।

थर्मोबेरिक हथियार (इसे एरोसोल बम, फ्यूल एयर एक्स्प्लोसिव या वैक्यूम बम भी कहा जाता है)

- ये हथियार बड़े व उच्च तापमान वाले विस्फोट के लिए **वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग** करते हैं।
- समान आकार के पारंपरिक बम की तुलना में ये **बहुत अधिक तबाही** मचाते हैं।
- इस बम में **2 अलग–अलग चरणों में विस्फोट** होता है:
  - जैसे ही यह अपने लक्ष्य से टकराता है तो **पहले विस्फोट से बम का ईंधन कंटेनर खुलता है** और ईंधन का बादल और धातु के टुकड़े बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।
  - **इसके बाद दूसरा विस्फोट होता है,** जो एरोसोल के बादल को आग के विशाल गोले में तब्दील कर देता है। इससे चारों ओर विस्फोट की जानलेवा लहरें फैलने लगती हैं। इससे मजबूत इमारत या उपकरण भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही, मनुष्य भी इसके अत्यधिक ताप में तुरंत जल कर मर जाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्पष्ट रूप से थर्मोबैरिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।**

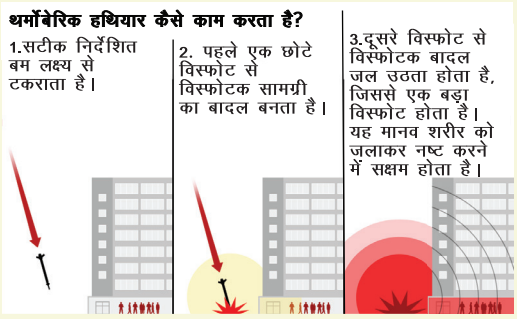

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने "प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्तिः कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की ओर" (End Plastic Pollution: Towards an internationally legally binding instrument) नामक एक ऐतिहासिक रेजोल्यूशन या संकल्प अपनाया

- विश्व के 175 देशों के प्रतिनिधियों ने **नैरोबी** में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA–5) में प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित एक रेजोल्यूशन का समर्थन किया है।
  - यह रेजोल्यूशन **प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने और वर्ष 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी** एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता अपनाने से संबंधित है।
    - कानूनी रूप से बाध्यकारी इस समझौते के तहत, "देशों से इस रेजोल्यूशन के उद्देश्यों में योगदान देने के लिए अपेक्षा की जाएगी। इसके तहत देशों को अपनी–अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को विकसित, कार्यान्वित और अपडेट करना होगा।"
- **इस रेजोल्यूशन या संकल्प के बारे में:**
  - यह **पेरू, रवांडा** और **जापान** द्वारा पेश किए गए तीन प्रारंभिक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर आधारित है।
  - यह प्लास्टिक के उत्पादन, डिजाइन और निपटान सहित उसके **संपूर्ण जीवन चक्र से संबंधित है।**
  - इसके तहत एक **"अंतर–सरकारी वार्ता समिति"** (Intergovernmental Negotiating Committee) का गठन किया जाएगा। इस समिति को वर्ष 2024 के अंत तक कानूनी रूप से बाध्यकारी एक वैश्विक समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। यह समिति अपना काम वर्ष 2022 में शुरू कर देगी।
- **प्लास्टिक प्रदूषण का फैलाव:**
  - प्लास्टिक प्रदूषण वर्ष 1950 में 20 **लाख टन** के बराबर था। यह बढ़कर वर्ष 2017 में **34.8 करोड़ टन** हो गया। इसके वर्ष 2040 तक दोगुना हो जाने का अनुमान है।
  - वर्ष 2050 तक, प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान के चलते होने वाला ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए स्वीकृत उत्सर्जन का 15% होगा।
  - **800 से अधिक समुद्री और तटीय प्रजातियां** प्लास्टिक प्रदूषण को निगलने, उसमें उलझ जाने और इससे जुड़े अन्य खतरों का सामना करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में

UNEA
United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme

- यह पर्यावरण के मामलों पर **निर्णय लेने वाला विश्व का सर्वोच्च निकाय** है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (UNEP) **का शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी)** है।
- इसकी बैठक **दो वर्ष में एक बार** आयोजित की जाती है। इसका उदेश्य वैश्विक पर्यावरण नीतियों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से जुड़े कानून विकसित करना है।
- इसका गठन **जून 2012** में किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने "यूक्रेन के विरुद्ध आक्रामकता" (Aggression Against Ukraine) नामक शीर्षक से एक रेजोल्यूशन अपनाया

- इस रेजोल्यूशन (या संकल्प) में रूस से मांग की गयी है कि वह **"तुरंत, पूरी तरह से और बिना शर्त यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को वापस हटा ले।"**
  - कुल **141 देशों ने इस रेजोल्यूशन के पक्ष में मतदान किया,** जबकि **भारत सहित 35 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।**
  - जिन **5 देशों ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ मतदान किया,** वे हैं– बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, रूस और सीरिया।
- इस रेजोल्यूशन पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहते हुए, भारत ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए, बिना किसी परेशानी के सुरक्षित निकासी की मांग की।
- इससे पहले, यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा पेश किए गए रेजोल्यूशन के दौरान भी भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया था। हालांकि, भारत ने देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेश किए जाने वाले रेजोल्यूशन या संकल्पों के बारे में**
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा में **उपस्थित और मतदान करने वाले** अधिकांश सदस्य देशों के बहुमत द्वारा ही रेजोल्यूशन और निर्णयों को अपनाया जाता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा** तथा संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रमुख अंगों के सदस्यों के चुनाव आदि पर सिफारिशों सहित **महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दो–तिहाई बहुमत से निर्णय** लिया जाना जरूरी होता है।
  - हालांकि, महासभा द्वारा रेजोल्यूशन के माध्यम से लिए गए निर्णय सरकारों के लिए **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** होते हैं, लेकिन ये विश्व के देशों के विचार और **वैश्विक समुदाय की नैतिकता** को दर्शाते हैं।
  - जब महासभा में किसी रेजोल्यूशन पर मतदान होता है, तो सुरक्षा परिषद के **5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।**

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly: UNGA) के बारे में

- यह नीति–निर्माण (पॉलिसी–मेकिंग) करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश (193 देश) इसके सदस्य होते हैं।
- प्रत्येक सदस्य को समान मत प्राप्त है।
- यह अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इन निर्णयों में शामिल हैं:
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना,
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना,
  - संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देना।

न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) वैश्विक भागीदारी के साथ कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) का बीमा करने के लिए तैयार है

- न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) जल्द ही कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) की इकाई तीन और चार के लिए प्रॉपर्टी कवर (बीमा) की प्रक्रिया संपन्न करेगा। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है।
- एक परमाणु संयंत्र में दो प्रकार के बीमा कवर होते हैं: **प्रॉपर्टी कवर और लायबिलिटी कवर।**
  - भारत में किसी परमाणु संयंत्र के लिए **लायबिलिटी कवर** हमेशा **इंडियन न्यूक्लीअर इंश्योरेंस पूल** (INIP) द्वारा कवर किया जाता है। इसे सामान्य बीमाकर्ताओं ने गठित किया है। इसका प्रबंधन राज्य के स्वामित्व वाले जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (GIC) के हाथों में है।
- INIP, **नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (या CLND अधिनियम)** के तहत निर्धारित दायित्व को कवर करने के लिए बीमा प्रदान करता है।
- CLND अधिनियम को नाभिकीय दुर्घटना होने पर **जल–से–जल्द मुआवजा प्रदान करने की दृष्टि से** कानूनी रूप दिया गया था। इसके तहत एक **नो–फॉल्ट लायबिलिटी व्यवस्था** के माध्यम से नाभिकीय दुर्घटना के कारण हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को तत्काल मुआवजा प्रदान किया जाता है।
  - इस अधिनियम ने भारत को **नाभिकीय दुर्घटना के लिए पूरक मुआवजे पर अभिसमय** (CSC) में एक पक्षकार के तौर पर शामिल होने की सुविधा प्रदान की।
- CLND **अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह **अनन्य क्षेत्राधिकार क्षमता** (Exclusive jurisdictional competence) को परिभाषित करने और **मुआवजा** प्रदान करने के लिए एक तंत्र है।
  - **यह नाभिकीय दुर्घटना होने पर दायित्व को ऑपरेटर पर हस्तांतरित करता है।**
    - यहाँ ऑपरेटर का अर्थ है– केंद्र सरकार या उसके द्वारा स्थापित कोई प्राधिकरण या निगम या कोई सरकारी कंपनी, जिसे **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अनुसार लाइसेंस** प्रदान किया गया है।
  - हालांकि, यह कुल मुआवजा राशि और समय के मामले में **ऑपरेटर की देयता को सीमित करता है।**
  - यह वित्तीय सुरक्षा या बीमा के माध्यम से **ऑपरेटर द्वारा अनिवार्य कवरेज सुनिश्चित करता है।**

नाभिकीय दुर्घटना के लिए पूरक मुआवजे पर अभिसमय (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage: CSC) के बारे में

- CSC की स्थापना वर्ष 1997 में की गयी थी। यह नाभिकीय दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों को उपलब्ध मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए एक विश्वव्यापी लायबिलिटी व्यवस्था स्थापित करता है।
  - इसके तहत, कोई देश जो **वर्ष 1963 के नागरिक दायित्व पर वियना अभिसमय** या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में थर्ड पार्टी के दायित्व पर **वर्ष 1960 के पेरिस अभिसमय** का एक पक्षकार है, CSC का एक पक्षकार बन सकता है।
- कोई देश **जो इन अभिसमयों में से किसी का भी पक्षकार नहीं है,** वह CSC का एक पक्षकार तभी बन सकता है जब उसने **परमाणु दायित्व पर अपने राष्ट्रीय कानून में CSC और उसके एनेक्स के प्रावधानों को शामिल किया हो।**
  - **भारत** ने वर्ष 2010 में CLND **अधिनियम के आधार पर CSC पर** हस्ताक्षर किए, क्योंकि भारत वियना या पेरिस अभिसमय का पक्षकार नहीं है।

नेशनल काउंसिल ऑफ़ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added: GVA) में सूक्ष्म वित्त का योगदान बढ़ने की संभावना है

- NCAER के एक अध्ययन के अनुसार, **सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) क्षेत्र ने वर्ष 2018–19 में भारत के** GVA **में लगभग** 2% और पूरे वित्तीय क्षेत्र में लगभग 5.5% का योगदान दिया है।
  - GVA, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को मापने की एक पद्धति है।
- माइक्रोफाइनेंस से तात्पर्य **कम–आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं** से है। ये लोग या समूह आमतौर पर पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित होते हैं।
  - **मालेगाम समिति (2011)** ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को एक लेजिटमेट एसेट क्लास (कानूनी परिसंपत्ति वर्ग) के रूप में स्थापित करने में मदद की थी।
- **भारत में माइक्रोफाइनेंस का डिलीवरी मॉडल:**
  - **सेल्फ–हेल्प ग्रुप्स** (SHGs) – **बैंक लिंकेज प्रोग्राम** (SBLP): भारत में माइक्रोफाइनेंस आंदोलन के इतिहास को SHG–**बैंक लिंकेज प्रोग्राम** में खोजा जा सकता है। इसे वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।
  - **माइक्रो–फाइनेंस इंस्टीट्यूशन** (MFIs) जैसे कि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), कोऑपरेटिव्स आदि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।
  - **बैंक भागीदारी मॉडल**
  - **बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट**
- **माइक्रोफाइनेंस का महत्व:**
  - इसके चलते महिलाओं को सीधे ऋण देकर **महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित** किया गया है। इससे परिवार, समुदाय और समाज में बड़े पैमाने पर महिलाओं के दर्जे में वृद्धि हुई है।
  - यह गरीब और कम आय वाले परिवारों को गरीबी से बाहर आने, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और समग्र जीवन स्तर में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा** देता है।
  - **गरीबों** को बिना किसी जमानत (कोलैटरल) के **ऋण** उपलब्ध कराया जाता है।
  - यह रोजगार सृजन में भी मदद करता है।
- **माइक्रोफाइनेंस की चुनौतियां:**
  - **कर्जदारों पर बहुत अधिक ऋण** बकाया है।
  - **ब्याज दर** तुलनात्मक रूप से **काफी अधिक** होती है।
  - माइक्रोफाइनेंस से जुड़े संस्थान अपने फण्ड के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ तकनीकी कंपनियों ने "व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) विधेयक, 2019" पर असहमति व्यक्त करते हुए एक नये वर्किंग ग्रुप के गठन का आह्वान किया है

- व्यापार और उद्योग निकायों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ तकनीकी कंपनियों ने **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू की है।
  - यह नया वर्किंग ग्रुप **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पर वर्तमान में कार्यरत भारत-अमेरिका वर्किंग ग्रुप** से अलग तरीके से कार्य करेगा।
- **इस विधेयक से संबंधित किन चिंताओं को उजागर किया गया है:**
  - इस विधेयक में **डेटा के स्थानीय भंडारण पर जोर देना** और **डेटा के सीमा-पार प्रवाह पर प्रतिबंध** आदि कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके ऊपर आपत्ति जताई गयी है।
  - डेटा स्थानीयकरण के साथ, एक मुख्य मुद्दा यह है कि भारत में **अभी तक बड़े डेटा केंद्र नहीं हैं।** छोटे डेटा केंद्र बहुत लागत प्रभावी नहीं होते हैं और कंपनियों के सुरक्षा मानदंडों को भी पूरा करने में असमर्थ होते हैं।
  - इसके अलावा, इसमें **गैर-व्यक्तिगत डेटा को शामिल करने** से कॉरपोरेट्स के लिए नीतिगत निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होगी।

व्यक्तिगत डेटा	गैर-व्यक्तिगत डेटा
व्यक्तिगत डेटा में व्यक्ति के पहचान से संबंधित विशेषताएं, लक्षण या गुण होते हैं। इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।	गैर-व्यक्तिगत डेटा में ऐग्रिगेटेड या एकत्रित डेटा शामिल होते हैं, **जिसके माध्यम से व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है।**

उदाहरण: किसी व्यक्ति का अपना स्थान व्यक्तिगत डेटा का सृजन करता है। दूसरी ओर, एक से अधिक संचालकों के स्थान से प्राप्त जानकारी, जो अक्सर ट्रैफ़िक के प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाती है, गैर-व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत आती है।

- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
  - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के माध्यम से **भारत सरकार, कंपनियों द्वारा एकत्र किये गये व्यक्तिगत डेटा को भी नियंत्रित करेगी।** इसके तहत भारत में गठित कंपनियों और भारत में व्यक्तिगत डेटा से निपटने वाली विदेशी कंपनियों, दोनों द्वारा एकत्र किये जाने वाले डेटा को शामिल किया गया है।
  - **यह विधेयक कुछ व्यक्तिगत डेटा जैसे कि वित्तीय डेटा, बायोमेट्रिक डेटा आदि को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा** के रूप में वर्गीकृत करता है।
  - इसके तहत **व्यक्तिगत डेटा को केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य के लिए ही प्रॉसेस किया जा सकता है।**
  - यह विधेयक कुछ परिस्थितियों को छोड़कर **केवल व्यक्ति की सहमति से ही डेटा प्रॉसेसिंग (प्रसंस्करण) की अनुमति** प्रदान करता है।
  - इसके अलावा, इस विधेयक में एक **डेटा संरक्षण प्राधिकरण** की स्थापना का भी प्रावधान है। यह प्राधिकरण व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने आदि के लिए उपाय कर सकता है।

अन्य सुर्खियाँ

संविधान का अनुच्छेद 80 (Article 80 of The Constitution)

- चंडीगढ़ नगर निगम ने एक **प्रस्ताव को मंजूरी** दी है। इसमें **संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के लिए अनुरोध किया गया है,** ताकि उसका स्थानीय निकाय, राज्य सभा में अपना एक प्रतिनिधि भेज सके।
  - **चंडीगढ़,** विधान सभा से रहित एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ से केवल लोक सभा में ही एक सांसद (MP) की सीट है।
- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 80** काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स की संरचना से संबंधित है। इसे उच्च सदन और राज्य सभा भी कहा जाता है।
- अब इस प्रस्ताव को आगे विचार के लिए **गृह मंत्रालय** को भेजा जाएगा। इसके बाद इसे **संसद** के पास भेजा जाएगा।

उप महानिरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए पैनल नियम {Empanelment rule for deputation of Deputy Inspector General (DIGs)}

- हाल ही में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कहा कि DIG **स्तर पर केंद्र में आने वाले IPS अधिकारियों को, अब केंद्र सरकार के साथ उस स्तर पर पैनल में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी।**
  - यह कदम केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में अधिक **रिक्तियों को देखते हुए** उठाया गया है। इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए DIG स्तर के IPS अधिकारियों की संख्या को बढ़ाना है।
- पिछले नियमों के अनुसार, **14 वर्ष के न्यूनतम अनुभव वाले** DIG रैंक के किसी IPS अधिकारी को केंद्र में **तभी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,** जब केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व वाले **पुलिस स्थापना बोर्ड ने उसे केंद्र में DIG के रूप में सूचीबद्ध किया हो।**

इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रसंस्करण प्रणाली {Electronic Bill (e-Bill) processing system}

- **वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** ने, 46वें सिविल एकाउंट्स दिवस पर **ई-बिल प्रसंस्करण प्रणाली** का शुभारंभ किया है।
- **ई-वे बिल प्रणाली** उस GST पंजीकृत व्यक्ति/नामांकित ट्रांसपोर्टर के लिए है, जो **50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल** की आवाजाही शुरू होने पर **इलेक्ट्रॉनिक रूप से वे (Way) बिल जनरेट करता है।**
- इसके तहत **विक्रेता/आपूर्तिकर्ता अपने बिल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।** वे अपनी सुविधानुसार किसी भी समय, किसी भी जगह से डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ बिल अपलोड कर सकते हैं।
- यह आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच **भौतिक संपर्क को समाप्त** करता है।
- इसे **पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) डिवीजन** द्वारा विकसित किया गया है।

"प्रवासी एवं प्रत्यावर्तित जन राहत और पुनर्वास" के लिए अंब्रेला योजना {Umbrella Scheme for 'Relief and Rehabilitation of Migrants and Repatriates' (RRMR)}

- भारत सरकार ने RRMR **नामक अंब्रेला योजना के तहत, मौजूदा 7 उप-योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।** इसे गृह मंत्रालय के माध्यम से 1,452 करोड़ रुपये के बजट के साथ **वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26** तक जारी रखा जायेगा
  - यह योजना उन **प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों (स्वदेश लौटे लोगों)** को लाभान्वित करेगी, जिन्हें विस्थापन के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इसके द्वारा **वे उचित आय अर्जित कर सकेंगे** और **उन्हें मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने** का अवसर मिलेगा।
  - इस योजना से **पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर तथा छाम्ब से विस्थापित परिवारों, श्रीलंका के शरणार्थियों, त्रिपुरा में रह रहे ब्रू परिवारों, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों,** आदि को राहत और पुनर्वास की सहायता दी जाएगी।
- यह योजना शरणार्थियों, विस्थापित लोगों तथा आतंकवादी / सांप्रदायिक / वामपंथी उग्रवाद आदि के शिकार नागरिकों को **राहत और पुनर्वास सहायता** प्रदान करती है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 {Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002}

- सरकार ने उच्चतम न्यायालय में तर्क दिया है कि जब **अभियुक्त को सतर्क किया जाता है, तो PMLA का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है।**
  - यह बात PMLA के **दुरूपयोग का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के जवाब में** कही गई।
- PMLA, **भारत में धन–शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से निपटने का प्रयास** करता है और इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
  - मनी लॉन्ड्रिंग को **रोकना और नियंत्रित करना,**
  - मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त **संपत्ति को कुर्क** (confiscate) **और जब्त करना;** और
  - भारत में **मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अन्य मुद्दों से निपटना।**
- **वित्त मंत्रालय के अधीन प्रवर्तन निदेशालय** (Enforcement Directorate), PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 {Swachh Survekshan (SS) 2022}

- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** (MoHUA) द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु फील्ड असेसमेंट शुरू किया गया है।
- वर्ष 2016 से MoHUA द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण, **विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण है।**
- **स्वच्छ सर्वेक्षण का प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।** यह समाज के सभी वर्गों के बीच कस्बों और शहरों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है।
- यह **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत आयोजित किया जाता है।**
- यह **वर्ष 2016 में** 10 लाख से अधिक आबादी वाले **73 शहरों में** शुरू हुआ था। वर्ष 2021 तक इसमें 4,320 शहर शामिल हो चुके थे।

"ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड (पॉजिटिव) एंड रिमूव्ड एप्रोच" यानी "सूत्र मॉडल" (SUTRA {Susceptible, Undetected, Tested (positive), and Removed Approach} Model)

- हाल ही में, एक अध्ययन में इस साल **जून के आसपास भारत में कोविड की चौथी लहर की भविष्यवाणी** की गयी है। हालांकि, **सूत्र मॉडल** इस नवीनतम अध्ययन या भविष्यवाणी से असहमत है।
- सूत्र मॉडल वस्तुतः **IIT कानपुर** में विकसित **एक गणितीय मॉडल** है, जिसका उपयोग **महामारी की भविष्यवाणी करने के लिए** किया जाता है।
- इसका उपयोग **भारत में कोविड–19 महामारी की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है।**
- **इस मॉडल में कई नवीन विशेषताएं हैं:**
  - पहला, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि बड़ी संख्या में डिटेक्ट नहीं किए गए एसिम्प्टमैटिक रोगी होंगे।
  - दूसरा, यह यह मॉडल स्पष्ट रूप से "पहुंच (reach)" नामक एक मानदंड के माध्यम से समय के साथ महामारी के स्थानिक प्रसार को ध्यान में रखता है।
  - तीसरा, यह मॉडल दैनिक नये संक्रमण संबंधी डेटा श्रृंखला का उपयोग करके सभी मापदंडों के वैल्यू या मान का अनुमान लगाने हेतु संख्यात्मक रूप से स्थिर विधियों का उपयोग करता है।

कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)

- उपराष्ट्रपति ने स्कूलों, स्थानीय निकायों और गैर–सरकारी संगठनों से युवाओं को CPR में प्रशिक्षित करने के लिए नियमित शिविर आयोजित करने का आग्रह किया है।
- CPR एक **आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है।** यह तब की जाती है जब हृदय धड़कना बंद कर देता है। **कार्डियक अरेस्ट** के तत्काल बाद CPR, **जीवित रहने की संभावना को दोगुना या तिगुना कर सकता है।**
- इसमें विशेष उपचार उपलब्ध होने तक, मस्तिष्क में अस्थायी रूप से पर्याप्त रक्त पंप करने के लिए **रेस्क्यू ब्रीदिंग** (मुंह से मुंह) और छाती को दबाकर संकुचित करना (chest compressions) शामिल हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

मॉल्डोवा:

- भारत द्वारा **यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को मॉल्डोवा के रास्ते से सुरक्षित रूप से निकाला गया।**
- **विशेषताएं और बाउंड्री (सीमाएं):**
  - यह एक **स्थल–रुद्ध** (landlocked) पूर्वी यूरोपीय देश है।
  - यह उत्तर, पूर्व और दक्षिण में **यूक्रेन** तथा पश्चिम में **रोमानिया** से घिरा है।
  - **सबसे बड़ा शहर और राजधानी:** चिसीनाउ (किशिनेव)।
  - यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद **सोवियत संघ का हिस्सा बन गया** और वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक उसका हिस्सा रहा।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **नदी:** इसका अधिकांश भाग **प्रुत** (Prut) और **डेनिस्टर नदियों** के बीच स्थित है।
  - **पर्वत: मॉल्डोवा, कार्पेथियन पर्वत के महान चाप (ग्रेट आर्क) के पूर्व में स्थित है।**
  - **उत्तरी और मध्य मॉल्डोवा में वन क्षेत्र का विस्तार है,** जबकि दक्षिण में **स्टेपी क्षेत्र** का विस्तार है।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 (Flag Code of India, 2002)

- केंद्र ने भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में संशोधन करके **मशीन निर्मित व पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के आयात की अनुमति प्रदान की है।**
  - पहले केवल **"हाथ से काते और बुने हुए ऊन या कपास या सिल्क खादी बंटिंग"** द्वारा बनाए गए झंडों की अनुमति थी।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 **राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों, प्रथाओं, अभिसमयों, निर्देशों और दिशा–निर्देशों का संग्रह** (compilation) **है।**
  - इसमें ध्वज फहराने के **सामान्य विवरण सूचीबद्ध** हैं। साथ ही, इसमें निजी और सार्वजनिक संगठनों द्वारा ध्वज फहराने के पहलू भी शामिल हैं।

VISION IAS